



UPMA010024212026

न्यायालय-सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।
पीठासीन अधिकारी-संजय कुमार यादव-III(एच.जे.एस.)
ID Code-UP2023
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-104/2026

 रत्नेश्वर सिंह-----बनाम-----उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

दिनांक: 06.06.2026

(1) पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक/प्रस्तावित अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है।

(2) आवेदक/प्रस्तावित अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत अपील में आवेदक की तबीयत खराब होने के वजह से समय सीमा के अन्दर अपील नहीं दाखिल कर सका। आवेदक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी जमानत प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार की जा चुकी है। इसी बीच आवेदक काफी बीमार पड़ गया, दवा-इलाज हेतु अस्पताल का चक्कर लगाता रहा, जिसके वजह से समय सीमा के अन्दर आवेदक अपील नहीं दाखिल कर सका। आवेदक अपील दाखिल करने में जानबूझ कर कोई गलती नहीं किया है, विलम्ब बीमारी के वजह से हुआ है। उपरोक्त कथन करते हुये विलम्ब को क्षमा कर अपीलार्थी को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

(3) विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये मौखिक आपत्ति की गयी है और यह कथन किया है कि आवेदक बिल्कुल स्वस्थ रहा है, उसके द्वारा जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी द्वारा आवेदक/अपील को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 23.01.2026 को दण्डादेश का निर्णय पारित किया गया था। तत्पश्चात आवेदक ने उक्त आदेश के विरुद्ध दिनांक 01.05.2026 को विलम्ब से दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी परन्तु आवेदक/अपीलार्थी ने स्वयं को बीमार होना बताया है और उसी के कारण समय से फौजदारी अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था, जिससे यह स्पष्ट है कि फौजदारी अपील

लगभग दो माह विलम्ब से दाखिल किया गया है। विलम्ब के संबन्ध में आवेदक द्वारा सशपथ यह कहा गया है कि आवेदक बीमार पड़ जाने के कारण अपील समय से प्रस्तुत नहीं कर सका था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को लचीला रूप अपनाना चाहिये, अत्यंत कठिनाई पूर्वक इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिये।

(5) विधि व्यवस्था ओरियन्टल एरोमा केमिकल इण्डस्ट्रीज लि० बनाम गुजरात इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन व अन्य 2010(2) जे सी एल आर (सुप्रीम कोर्ट) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यद्यपि कि प्रत्येक दिन होने वाली विलम्ब को स्पष्ट करने के लिये कोई निश्चित मापदण्ड का नियम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि विलम्ब को उपशमित किये जाने हेतु न्यायालयों द्वारा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

(6) इस प्रकार आवेदक/प्रस्तावित अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब का स्पष्ट कारण उल्लिखित किया गया है और अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्रुत आदेश के विरुद्ध निर्धारित अवधि में अपील न दाखिल करने के पीछे पर्याप्त कारण मौजूद था।

(7) उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम परिचय पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

(8) आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मु० 400/-रु० परिचय पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, पत्रावली फौजदारी अपील की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवायी हेतु दिनांक 22.07.2026 को पेश हो। उभय पक्ष नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांक:-06.06.2026

सत्र न्यायाधीश
मऊ